कार्यालय संचालक

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड़ भोपाल -462016

दूरभाष 0755- 4082502, 4082525Email: mpwalmi@gmail.com

क्र.वाल्मी / डब्ल्यू-02 / प्रशा. / आ.आ..02 / 2020-21 /*505*

दिनांक 19/10/2020

:: आदेश ::

संस्थान का आवास क्रमांक आई—11 श्री एस.जी.अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (वि) राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन को आवंटित किया जाता हैं।

आवंटन की शर्तें:

- 1. आंवटिती के स्थानान्तर, सेवामुक्त, पदच्युत होने एवं प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा 120 दिन की अवधि से अधिक अर्जित अवकाश पर जाने की स्थिति में नियमानुसार आवास गृह धारण की अनुमित लिये बिना आवास गृह को आधिपत्य में नहीं रखा जा सकेगा तथा अनाधिकृत रूप से आधिपत्य बनाये रखने पर आवास आवंटन नियम-17(4) के अनुसार कब्जा अनाधिकृत माना जायेगा और लायसेंस शुल्क बाजार दर की दुगनी दर से वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2. आवंटित द्वारा आवास गृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान उत्पन्न करने, लायसेंस फीस बकाया रखने, आवास अन्य व्यक्ति को उपयोग करने हेतू देने या स्वंय न रहने पर किया गया आवंटन निरस्त किया जा सकेगा तथा आवंटिती से अनाधिकृत रूप से आधिपत्य की अवधि का किराया शर्त क.1 की तरह वसूल किया जा सकेगा।
- 3. आवंटिती अथवा उसके परिवार के नाम से कोई निजी मकान पदस्थापना वाली जगह में नहीं है तो उससे किराया मूल नियम 45-ए के अधीन लिया जायेगा तथा पदस्थापना वाली जगह पर स्वंय उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम निजी मकान है तो उससे किराया मूल नियम 45-बी के अधीन लिया जायेगा।
- 4. प्रशासनिक कारणों से यह आवंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा तथा आवंटन आदेश निरस्त किये जाने पर 7 (सात) दिन की अवधि में आवासगृह रिक्त
- 5. आवंटित भवन का मूल नियम 45-1 के प्रावधानों के अनुसार मानक लायसेंस शुल्क, निर्धारित जल कर एवं विद्युत शुल्क (मीटर रीडिंग अनुसार) प्रतिमाह संस्थान में जमा करना होगा।
- 6. आवंटित आवास गृह में कोई नया कार्य, अतिरिक्त निर्माण करना या परिवर्तन करना आदि कार्य आवंटिती द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 7. आवास आवंटन म.प्र.आवास आवंटन नियमों में निहित निर्देशों एवं प्रावधानों के अधीन किया गया है।
- 8. आवास आवंटन अवधि बढ़ाने या निरस्त करने अथवा अन्य किसी भी विषय बाबत् संचालक वाल्मी का निर्णय अंतिम होगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्र.वाल्मी / डब्ल्यू—02 / प्रशा. / आ.आ..02 / २०२० २ ग्रेड प्रतिलिपि :— 1. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, द्वितीय तल विंध्याचल भवन, भोपाल। 2. श्री एस.जी.अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (वि) राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन केखाशाखा, वाल्मी, भोपाल।

गार्ड नस्ती / वेबसाईट समिति, वाल्मी, भोपाल।

वाल्मी, भोपाल

प्रशासकीयं अधिकारी

वाल्मी, भोपाल